(वाद सं0.-3780/2017)

22.02.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी रूबैदा खातुन के पुत्र सहिदुल रहमान के अपहरण व लापता होने से संबंधित भा0द0सं0 की धाराओं 363/ 364/ 364ए/ 365/34 के अन्तर्गत रून्नीसैदपुर थाना कांड सं0–150/2017, दिनांक 01.04.2017 मे संस्थित किये जाने के बावजूद भी कांड के कथित अपहृत (परिवादी के पुत्र) की अब तक पुलिस द्वारा बरामदगी नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी व उसके पुत्र के विरूद्ध पूर्व में भा0द0सं0 की धाराओं 376/504/34 व 04 पौक्सो अधिनियम के अन्तर्गत रून्नीसैदपुर थाना कांड सं0–116/2017, दिनांक–15.03.2017 संस्थित किया गया था, जिसमें परिवादी ने तो न्यायालय से जमानत प्राप्त कर लिया है जबकि उसका पुत्र गिरफ्तारी के डर से आज तक लापता है। जबकि प्रसंगाधीन रून्नीसैदपुर कांड सं0–150/2017 मे 09 प्राथमिकी अभियुक्तों में से 08 अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है तथा एक प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से अभी तक फरार है। उपरोक्त दोनों कांडों के फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है तथा मामला वर्तमान में अनुसंधान्तर्गत है।

किसी भी आपराधिक मामले के अन्वेषण में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। प्रसंगाधीन कांड के अन्वेषणाधीन रहने से संबंधित तथ्य को ध्यान में रखते हुए

राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश/निर्देष/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिवादी अगर पुलिस के अनुसंधान से असहमत है तो वह संबंधित न्यायालय से विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु याचना कर सकती है।

पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक